तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No. 19/2024	नम्बर व तारिख काम जो हुक्म कीतामिल में जारी हुए
22.4.2024	पत्रावली पेश हुई। श्री दिलीप सिंह यादव, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही अनुपस्थित। प्रतिवादी अमृतलाल पुत्र श्री धर्माराम प्रजापत, जाति– प्रजापत, निवासी– टंकी के पास, नया सानवाडा, तहसील– पिण्ड़वाडा, जिला– सिरोही, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, फर्म क्षेत्रपाल किराणा स्टोर, नया सानवाडा, तहसील– पिण्ड़वाडा, जिला– सिरोही अनुपस्थित। आवेदक श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा यह न्याय निर्णयन आवेदन प्रतिवादी के विरुद्ध आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 15.2.2023 को फर्म क्षेत्रपाल किराणा स्टोर, नया सानवाडा, तहसील– पिण्ड़वाडा, जिला– सिरोही में प्रतिवादी अमृतलाल से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच कीमतन क्रय किये गये खाद्य पदार्थ घी लूज का नमूना संख्या S-2007 खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जांच रिपोर्ट क्रमांक:L.S./288/Act/2023/342 दिनांक 28.2.2023 में अमानक (sub-standard) पाया जाने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) व धारा 51 के तहत प्रस्तुत कर प्रतिवादी पर जुर्माना आरोपित करने का अनुरोध किया गया है। प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को विधिवत नोटिस जारी कर तामिल करवाया गया। जिस पर प्रतिवादी ने इस न्यायालय में नियत सुनवाई तिथि 12.4.2024 को उपस्थित होकर जुर्म स्वीकारोक्ति का प्रार्थना पत्र पेश कर प्रकरण का निस्तारण करने का अनुरोध किया। जिस पर प्रतिवादी को दिनांक 12.4.2024 को ही सुना गया, जिसने अनुरोध किया कि यह उसका प्रथम अपराध है एवं भविष्य में ऐसी अमानक खाद्य सामग्री का आम जन के लिये उपयोग व विक्रय नही करेगा। उसने उक्त घी को दूसरी फर्म से खरीदा था जिसका बिल गुम हो गया है, उसने अमानक घी (केशव ब्राण्ड) का निर्माण नही किया है। अतः कम से कम जुर्माना करके प्रकरण का निस्तारण करावे। हमनें सुनी गई बहस पर मनन किया एवं पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही द्वारा दिनांक 15.2.2023 को खाद्य पदार्थो के निरीक्षण हेतु फर्म क्षेत्रपाल किराणा स्टोर, नया सानवाड़ा, तहसील– पिण्ड़वाडा, जिला– सिरोही पर गये। फर्म क्षेत्रपाल किराणा स्टोर, नया सानवाड़ा में खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक की हैसियत प्रतिवादी अमृतलाल पुत्र श्री धर्माराम प्रजापत, जाति– प्रजापत, निवासी– टंकी के पास, नया सानवाडा, तहसील– पिण्ड़वाडा, जिला– सिरोही उपस्थित मिले। आवेदक श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा फर्म क्षेत्रपाल किराणा स्टोर, नया सानवाडा के निरीक्षण के दौरान क्षेत्रपाल किराणा स्टोर की दुकान के अन्दर आम जन के बिक्री हेतु रखे हुए खाद्य पदार्थ घी (केशव ब्राण्ड) में मिलावट का शक होने पर क्षेत्रपाल किराणा स्टोर में आम जन के विक्रय हेतु 15 किलोग्राम के एक टीन में रखे हुए लूज खाद्य पदार्थ घी (केशव ब्राण्ड) में से 2 किलोग्राम घी को खाद्य सुरक्षा एवं मानक ....लगातार	

न्यायालय अति० जिला मजिस्ट्रेट सिरोही

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Rai Sapela
Date: 2024.05.17 11:54:37 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट सिरोही–307001.

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No. 19/2024	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म कीतामिल में जारी हुए

अधिनियम, 2006 के तहत नमूना जांच हेतु क्रय कीमतन क्रय कर घी को एकरुप करके चार साफ, सूखी, खाली शीशीयों में बराबर-बराबर मात्रा में 500-500 ग्राम भरकर शीशीयों को ढ़क्कन से एयरटाईट बन्द करके विधिवत कार्यवाही करते हुए खाद्य पदार्थ घी के नमूना संख्या S-2007 को जांच हेतु खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को भिजवाया, जो खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जांच रिपोर्ट क्रमांक:L.S./288/Act/2023/342 दिनांक 28.2.2023 में अमानक (sub-standard) पाया गया है। इससे, यह स्पष्ट है कि प्रतिवादी अमृतलाल पुत्र श्री धर्माराम प्रजापत, जाति- प्रजापत, निवासी- टंकी के पास, नया सानवाडा, तहसील- पिण्ड़वाडा, जिला- सिरोही, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, फर्म क्षेत्रपाल किराणा स्टोर, नया सानवाडा, तहसील- पिण्ड़वाडा, जिला- सिरोही ने अमानक (sub-standard) खाद्य पदार्थ घी का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है, जो उक्त अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्माने योग्य अपराध है।

आदेश

अतः हस्तगत न्याय निर्णयन आवेदन अर्न्तगत धारा 26 की उपधारा 2(ii) व धारा 51 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 विरुद्ध प्रतिवादी अमृतलाल स्वीकार किया जाकर उक्त अधिनियम की धारा 68 की उपधारा (1) के तहत राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प. 1(2)कार्मिक/क-4/08 दिनांक 05.4.2012 के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा- 51 अमानक (sub-standard) खाद्य पदार्थ घी के विक्रय हेतु प्रतिवादी अमृतलाल पुत्र श्री धर्माराम प्रजापत, जाति- प्रजापत, निवासी- टंकी के पास, नया सानवाडा, तहसील- पिण्डवाडा, जिला- सिरोही, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, फर्म क्षेत्रपाल किराणा स्टोर, नया सानवाडा, तहसील- पिण्ड़वाडा, जिला- सिरोही पर राशि रुपये 40,000/- (अक्षरे रुपये चालीस हजार मात्र) की शास्ति (Penalty) अधिरोपित की जाती है। साथ ही, प्रतिवादी अमृतलाल को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त जुर्माना राशि का राष्ट्रीयकृत बैंक से न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के पक्ष में Crossed Demand Draft जिसका भुगतान सिरोही शहर में प्राप्त किया जा सके बनवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के कार्यालय में 15 दिन के भीतर जमा करवाये। निर्णय सुनाया गया। निर्णय की प्रति संबंधित खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं प्रतिवादी को प्रेषित की जावे। मिसल वास्ते जमा होने जुर्माना राशि डी.डी. आयन्दा दिनांक 27.5.2024 को पेश हो।

(डॉ. दिनेश राय सापेला)

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही-30700

न्यायालय अति० जिला मजिस्ट्रेट सिरोही (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Rai Sapela
Date: 2024.05.17 11:54:37 IST
Reason: SelfAttested